भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.1692**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि निर्यात नीति, 2018

1692. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि निर्यात में गिरावट को देखते हुए कृषि निर्यात नीति, 2018 अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) भारत के कृषि निर्यातों में हावी फसलों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) देश के किसानों पर घटते कृषि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है और
(च) कृषि निर्यातों में वृद्धि करने में मंत्रालय को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.) : दिसंबर 2018 में कृषि निर्यात नीति (एईपी) की शुरूआत के बाद, कृषि निर्यात ने 2019-20 में 35.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2022-23 में 53.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। एईपी के विभिन्न उद्देश्यों को साकार करने में प्रगति हुई, जैसे निर्यात बास्केट और गंतव्यों में विविधता लाना; अप्रतिम, स्वदेशी, जैविक, नृजातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना; बाज़ार पहुंच, व्यापार बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों से निपटना; वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण; किसानों को निर्यात बाजार संपर्क प्रदान करने आदि ने कृषि निर्यात में वृद्धि में योगदान दिया है।
प्राथमिक और मूल्य वर्धित उत्पादों को शामिल करके बने भारत की कृषि निर्यात बास्केट से जो फसलें भारत के कृषि निर्यात का पर्याप्त हिस्सा हैं, वे गैर-बासमती चावल, बासमती चावल, मसाले, ताजे फल और ताजी सब्जियां आदि हैं ।

(च) कृषि उत्पादों के निर्यात में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ बड़े घरेलू उपभोग आधार के कारण निर्यात योग्य अधिशेष की उपलब्धता में स्थिरता को प्रभावित करने वाले उत्पादन में भिन्नता; मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता; आयातक देशों की सख्त गुणवत्ता आवश्यकताएँ; बाज़ार पहुंच संबंधी मुद्दे आदि हैं।

वाणिज्य विभाग बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड आदि की निर्यात संवर्धन योजनाओं के माध्यम से खाद्य उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन योजना के विभिन्न घटकों के तहत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान कर रहा है।

किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल भी विकसित किया गया है। निर्यात-बाज़ार संपर्क प्रदान करने के लिए समूहों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की जाती हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन करने और उनका लाभ उठाने के लिए, विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की जाती है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश-विशिष्ट बीएसएम भी आयोजित किए जाते हैं। बाज़ार पहुंच, व्यापार बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

****